तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं... अह... हुक्म...
22-3-21	पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थीगण पक्षकारान् प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण फैसल हुआ बाद होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो। उप खण्ड अधिकारी दौसा (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:26:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

ठासीन अधिकारी का नाम :– संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
करण संख्या :– 21 / 2020
यर दिनांक :– 04.09.2020
र्णय दिनांक :– 22.03.2021

उनवान

सी पि0 मु0 नेतराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बडी बैरावास तहसील दौसा जिला
सा

(प्रार्थी)

बनाम

जस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

(अप्रार्थी)

स्थिति :– श्री सत्य नारायण शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अ0 धारा 128 एल.आर.एक्ट

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि ग्राम बड़ी बैरावास स्थित कृषि भूमि खसरा 76 रकबा 1.30 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी नाम दर्ज है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि में फसल काश्त करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:26:58 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी अपनी फसल की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि के चारो ओर मिट्टी की कच्ची डोली जानवरो से अपनी फसल की सुरक्षार्थ, जब भी लगाते है, तो पड़ौसी खातेदारान उसको तोड़ देते है व प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि की सीमा को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि व उसकी फसल की सुरक्षा रहे व पड़ौसी खातेदार के मध्य किसी प्रकार का सीमा विवाद नही हो। विवाद खत्म करने के लिए प्रार्थी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि का न्यायालय के माध्यम से सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी के द्वारा पूर्व मे उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 14.07.2020 को हो चुका है, जिसकी मौका रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थी की उक्त भूमि की पत्थरगढी करने मे किसी प्रकार की कानूनी बाधा व अड़चन नही है। प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 76 रकबा 1.30 है0 ग्राम बड़ी बैरावास तहसील दौसा की पत्थरगढी करने के आदेश अप्रार्थी तहसीलदार दौसा को दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी के द्वारा उक्त पत्थरगढी प्रार्थना–पत्र न्यायालय मे पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार दौसा को जरिये सम्मन तलबी की गई। नायब तहसीलदार दौसा के द्वारा पत्थरगढी प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश किया हैं, जिसमे अंकित किया गया है, कि प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाने में राजस्थान सरकार को कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:26:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(3)

प्रार्थी के अधिवक्ता को पत्थरगढ़ी प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली वं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड को अवलोकन किया गया। प्रार्थी का थरगढ़ी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का पत्थरगढ़ी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा हसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की ग्राम वड़ी बैरावास स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 76 रकबा 1.30 है0, भूमि की पत्थरगढ़ी रने हेतु अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित की जाकर थरगढ़ी की जावे तथा प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया ावे। पालना हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल मार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमिल प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया था मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा

उपखण्ड अधिकारी
(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:26:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner